कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बलरामपुर।

पत्रांकः–बे0शि0/जू0हा0मान्यता/ 1145-58 (67) /2019–20 दिनांकः– 30.03.2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
एम0जे0 एक्टिविटि, ग्राम लालगंज पोस्ट उतरौला,
जनपद–बलरामपुर।

विषयः– शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 एस (7)/89 दिनांक 08 मई 2013 में निहित निर्देशानुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम–15 के उप नियम–4 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके विद्यालय की नर्सरी से कक्षा 08 तक उच्च प्राथमिक स्तर **(अंग्रेजी माध्यम)** की मान्यता हेतु प्राप्त पत्रावली पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी की जांच/संस्तुति उपरान्त सन्दर्भित पत्रावली मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,(बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा की अध्यक्षता में गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति द्वारा सन्दर्भित पत्रावली में जांच अधिकारी की आख्या/संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति की बैठक में लिये निर्णय के अनुसार विद्यालय को नर्सरी से कक्षा 08 तक **(अंग्रेजी माध्यम)** की मान्यता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की गयी।

अतः आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं, **प्रबन्धक, एम0जे0 एक्टिविटि, ग्राम लालगंज पोस्ट उतरौला, जनपद–बलरामपुर।** (विद्यालय का नाम पते सहित) को नर्सरी से कक्षा 08 तक **(अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने के लिए संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विच्छित नही है।
2. विद्यालय के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति नर्सरी से कक्षा 05 में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस कमजोर वर्गों और सुविधि विहीन समूह के बालिकाओं को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) उपबन्धों के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुक्ल का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक व उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करेगा–
   (क) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय में इसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
   (ग) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   (घ) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (ड़) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   (च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हताएं नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हताएं अर्जित करेगें।
   (छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दष्टि अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है और
   (ज) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रिया कलापों में नियोजित नही करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।

अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी। प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–